उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला
(विधि शाखा)

आ दे श

विविध अपील (Miscellaneous Appeal)वाद सं0 :– 36/2016–17

सुकरा उरॉव वगै0 –बनाम– रुदो देवी

अपीलार्थी श्री सुकरा उरॉव पिता –स्व0 धामा उरॉव एवं नारायण उरॉव पिता–स्व0 सोमरा उरॉव ग्राम – उर्मी थाना – गुमला जिला – गुमला द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गुमला के विविध वाद सं0–01/2016–17 में पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में विविध वाद दायर किया गया है।

अपीलार्थी के Miscellaneous Petition पर सुनवाई प्रारंभ करते हुए उत्तरवादी को पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। इस वाद में उत्तरवादी रुदो देवी की मृत्यु होने के पश्चात उनके वारिशों को पक्षकार बनाया गया है।

अपीलार्थी का पक्ष

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा लिखित बहस के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा विविध वाद सं0–1/2016–17 में पारित आदेश के विरुद्ध कही भी अपील दाखिल नही किया गया है। विवादित जमीन ग्राम–उर्मी थाना वो जिला–गुमला के खाता नं0–38 प्लॉट नं0–05 रकबा–1.68 एकड़ है। उक्त जमीन मरियम लकड़ा के दखल में था। उनके नाम से जमाबंदी भी चल रही थी। मरियम लकड़ा ने नियमतः परमिशन लेकर अपीलार्थी सुकरा उरॉव और नारायण के नाम से बिक्री कर दिया। दोनों अपीलार्थी उक्त जमीन पर दखलकार हुए तथा दाखिल खारिज अपने नाम से कराये तथा कुछ भाग में अपना घर बनाकर रह रहें है। दोनों अपीलार्थी उक्त जमीन में से कुछ–कुछ भाग बिक्री किया है यह बिक्री भी नियमतः परमिशन लेकर किया है तथा केतागण अपना घर बनाकर शान्तिर्पूक दखलकार है। केतागण के नाम से दाखिल खारिज भी हो चुका है जितेन्द्र खडिया, अनिता देवी दिनेश उरॉव एवं सिस्टर उपरोक्त जमीन पर अपीलार्थी के अलावा सिस्टर लोग अपने लिए रोड निमार्ण कराया गया है। उत्तरवादी रुदो देवी ने टा0 सु0 नं0–1/91 मरियम लकडा के विरुद्ध दाखिल किया था जिसमें अपीलार्थी प्रतिवादी बने और सुनवाई के बाद यह मुकदमा रुदो देवी का खारिज हुआ तथा अपीलार्थी के पक्ष में फैसला हुआ। आदेश के विरुद्ध रुदो देवी ने टा0सु0–32/98 दायर किया जिसमें वर्तमान अपीलार्थी उत्तरवादी थे सुनवाई के पश्चात रुदो देवी का अपील डिक्री हुआ। उक्त आदेश के विरुद्ध सुकरा उरॉव वगै0 ने माननीय उच्च न्यायालय में सेकेण्ड अपील–318/15 दायर किया है जो सुनवाई हेतु लंबित है। माननीय उच्च न्यायालय जिला एवं सहायक सत्र न्यायाधश iii के आदेश के स्थगन आदेश हेतु आवेदन दिया गया है जो अभी सुनवाई हेतु लंबित है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के आदेश दिनांक–21.11.2016 जो विविध वाद सं0–1/2016–17 में पारित आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी ने वर्त्तमान अपील दाखिल किया गया है। आदेश कानूनी रुप से तथा तथ्यों के आधार पर चलने योग्य नही है। अंचल अधिकारी ने रुदो देवी का दखल कब्जा उक्त भूमि में नही रहने के कारण रुदो

देवी का आवेदन खारिज किया था। भूमि सुधार उप समाहर्त्त ने रुदो देवी के दखल के संबंध में कुछ भी नही लिखा है तथा रुदो देवी ने दखल में रहने का कोई दखल देहानी प्रमाण पत्र नही दी गई है। बिना दखल में रहकर रुदो देवी के नाम से दाखिल खारिज करने का आदेश न्याय संगत नही है। बिना दखल निर्धारित किये किसी पक्ष में दाखिल खारिज नही किया जा सकता है। अपीलार्थीगण के पक्ष में दाखिल मेमो ऑफ अपील को स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

अपीलार्थी के द्वारा अपने दावे के समर्थन में निम्नलिखित कागजातों की छायाप्रति भी संलग्न किया गया है, जो निम्नांकित है :–

1 **P.L.R-1987 Page 1037 Patna High Court Ranchi Bench** की छाया प्रति।
2 **2001(3) Jhr CR 206(Jhr) Jharkhand High Court** की छाया प्रति।
3 **2007(4) JLJR Page 351 Jharkhand High Court** की छाया प्रति।
4 **2007(4) JLJR Page 605 Jharkhand High Court** की छाया प्रति।

उत्तरवादी का पक्ष

उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत जमीन खाता नं0–38 प्लॉअ नं0–05 रकबा–1.68 एकड़ मौजा उर्मी थाना–गुमला जिला–गुमला में अवस्थित है। प्रश्नगत जमीन का खतियानी रैयत मुटकु धोबी थे तथा उनसे उत्तरवादी का सम्बन्ध निम्न प्रकार है:–

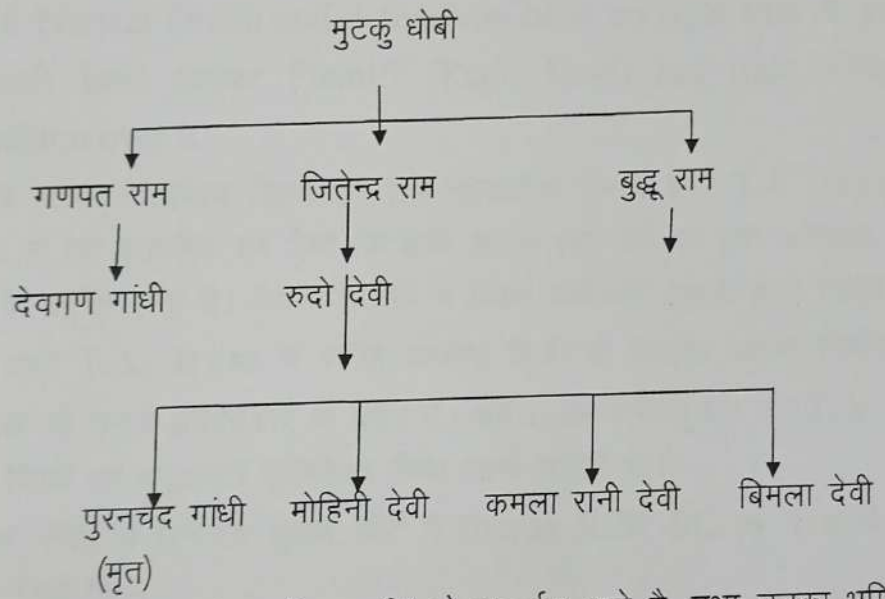

उत्तरवादी हरिजन (अनुसूचित जाति) के अन्तर्गत आते है, तथा उनका भूमि हस्तांतरण वगैरह उपायुक्त महोदय के Permission के बिना सम्भव नही है। अपीलार्थी सुकरा उरॉव वो नारायण उरॉव के विक्रेता मरियम लकड़ा पति अलफौंस तिर्की से वगैर उपायुक्त महोदय को पक्षकार बनाये तथा धारा 46 सी0 एन0 टी0 एक्ट0 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए धोखा धड़ी कर टा0 सु0 464/1968 में फर्जी डिक्री के आधार पर मरियम लकड़ा सन 1990–91 में दावा करने लगी जिस कारण उत्तरवादी रुदो देवी को टाईटल सुट–01/91 सब जज i गुमला में अपना हक दखल सम्पुष्ट कराने वो विपक्षी मरियम लकड़ा एवं सुकरा उरॉव वगैरह के हस्तांतरण को नजायज घोषित कराने हेतु दायर करना पड़ा, प्रश्नगत जमीन का फैसला माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश–iii गुमला द्वारा टा0 अपील 32/1998 में उत्तरवादी रुदो देवी के हित में हुआ जिसमें माननीय जिला जज iii गुमला द्वारा रुदो देवी के हित में प्रश्नगत जमीन में हक दखल सम्पुष्ट किया गया।

माननीय जज iii द्वारा टा0 अ0 32/98 में पारित फैसला मुताबिक उत्तरवादी रुदो देवी अंचल अधिकारी गुमला के समक्ष प्रश्नगत जमीन का जमाबंदी कायम कर लगान रसीद निर्गत करने हेतु आवेदन समर्पित की जिसमें अंचल अधिकारी गुमला माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश iii गुमला द्वारा पारित जजमेंट एवं डिक्री के विरुद्ध जाते हुए दखल कब्जा का अभाव दर्शा कर विविध वाद 21/15 का अभिलेख की कार्यवाही बन्द कर दी गई, अंचल अधिकारी गुमला द्वारा विविध वाद सं0–21/15 में पारित आदेश के विरुद्ध विविध अपील वाद सं0–01/2016–17 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गुमला के न्यायालय में उत्तरवादी रुदो देवी के द्वारा दाखिल किया गया। माननीय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गुमला द्वारा पूर्ण विश्लेषण उपरान्त रुदो देवी की अपील स्वीकृत की गई। प्रश्नगत जमीन के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुमला द्वारा T.A. 32/98 में पारित जजमेंट एवं डिक्री मुताबिक उत्तरवादी रुदो देवी के हित में स्वत्व एवं दखल दोनों निर्धारित किया जा चुका है। उत्तरवादी सुकरा उरॉव वगैरह सभी ने टा0 सु0 01/91 तथा टा0अ0 32/'98 वाद के लंबित रहते मरियम लकड़ा से नजायज हस्तांतरण द्वारा जमीन पर दावा करते है।

इस संबंध में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुमला द्वारा T.A. 32/98 के जजमेंट के पारा 13 में स्पष्ट उल्लेख किया है कि Marium Lakra has not right, title interest of Transfer the suit land in favor of defendant no 05 Sukra Oraon and defendant No.06 Naryan Oraon and defendants have no right title & possession over the suit land rather Plainiff (Rudo Devi) has right title interest and possession over it.

जब सक्षम न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुमला द्वारा T.A. 32/98 के जजमेंट के पारा 13 मे यह अवधरित कर लिये कि वादी अर्थात रुदो देवी का हक अधिकार वो दखल प्रश्नगत जमीन में साबित होता है। वैसे परिस्थिति में अंचल अधिकारी गुमला द्वारा दखल के बिन्दु में जॉच कराना तथा T.A. 32/98 में पारित जजमेंट बिक्री के विपरित अपना निर्णय सुनाना बिलकुल अवैधानिक वो उनके क्षेत्राधिकार के बाहर है। अंचल अधिकारी गुमला को T.A. 32/98 में पारित जजमेंट डिक्री का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए था।

इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2012(3) JLJR SC 25 में अपने न्यायादेश में यह अवधरित किये कि:–

Administration of justice mere Filing of an Appeal does not suspend the effect of judgment and decree challenged in the court-so long judgment and decree of competent civil court stand The same is binding on the revenue court since Revenue court is of limited Jurisdiction it has no authority to take Contrary view or decide the case against the terms of the decree of civil Court.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुमला द्वारा टा0 अ0 32/98 में दिनांक–16.03.2015 के जजमेंट एवं डिक्री में रुदो देवी के हित में हक अधिकार दखल घोषित किया जा चुका है। तथा विपक्षी नारायण उरॉव वो सुकरा उरॉव का बिक्री पट्टा को नजायज घोषित किया जा चुका है, उपरोक्त

परिपेक्ष में अपीलीय न्यायालय द्वारा रुदो देवी के अपील को स्वीकार किया जाना विधि संवत आदेश है। उत्तरवादी के द्वारा अपीलीय न्यायालय में पारित आदेश को यथावत रखते हुए रिवीजन वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

उत्तरवादी के द्वारा अपने दावे के समर्थन में निम्नलिखित कागजातों की छायाप्रति भी संलग्न किया गया है, जो निम्नांकित है :–

1. 2012 (3) JLJR 25 की छाया प्रति।
2 खतियान की छाया प्रति।
3 T.A. 32/98 का आदेश की छाया प्रति।
4 T.A. 1/91 का आदेश की छाया प्रति।
5 इंदिरा आवास आवेदन की छाया प्रति।
6 रसीद की छाया प्रति।
7 इंदिरा आवास बोर्ड की फोटो ग्राफ की छाया प्रति।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता का तर्क एवं समर्पित दस्तावेजों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उत्तरवादी रुदो देवी के हित में सक्षम न्यायालय माननीय जिला जज iii गुमला द्वारा Title Appeal no 32/98 में प्रश्नगत जमीन के संबंध में स्वत्व अधिकार एवं दखल उत्तरवादी रुदो देवी वगैरह के हित में सम्पुष्ट की गई, तथा रुदो देवी के द्वारा Title Appeal no 32/98 के Jdugement एवं डिक्री के मुताबिक प्रश्नगत जमीन का नामांतरण हेतु आवेदन निम्न न्यायालय में दाखिल किया गया था। समर्पित कागजातों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीगण प्रश्नगत जमीन को Title Suit no. 01/91 तथा Title Appeal no 32/98 के लंबित रहते खरीद की गई थी, जो कि Title Appeal no 32/98 के फैसला में रद्द किया जा चुका है। अतः अपीलीय न्यायालय का फैसला को यथावत रखते हुए विविध अपील वाद को खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति निम्न न्यायालय के मूल अभिलेख के साथ वापस भेजते हुए इसकी प्रति संबंधित अंचल अधिकारी को भी दें।

लेखापित एवं संशोधित

12.06.22
उपायुक्त,
गुमला

12.06.22
उपायुक्त,
गुमला

Digitally signed by SUSHANT GAURAV
Date: 2022.07.30 13:21:24 +05:30
Location: 192.168.5.101